# न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी, जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 4/16 (पुराना उदयपुर) 01/2023 (नया सलूम्बर) (प्रा.पत्र रेफरेंस–82)
जी.सी.एम.एसः– 2016/00001

सरकार जरिये तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राजस्थान)

.........................प्रार्थी

बनाम

1. दल्ला पिता रोडा,
2. मांगु पिता धुला,
3. भेरा पिता दोला,
4. नाथू, कचरू, रूपी, नारायणी, मीरा पिता शंकर,
5. केशी पत्नी शंकर,
6. देवीलाल पिता हीरा,
7. मांगीलाल पिता हीरा,
8. मांगीलाल, धना पिता धूला, जोगी व अन्य।

.....................अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक–.22.05.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर में प्रकरण संख्या 04/2016 दर्ज था सलूम्बर जिले का गठन होने पर न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर में प्रकरण संख्या 01/2023 से दर्ज हुआ।

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के प्रकरण संख्या 90/2007(प्रा.प. रेफरेन्स) निर्णय 22.10.07 अनुसार प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत एक रेफरेन्स न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसील सलुम्बर के ग्राम गींगला के आराजी नं0 3534 से 3539, 3674, 3675, 3676, 3681 3682, 3688, 3783 रकबा 2.26 हेक्टे० भूमि सन् 1947 एवं इसके पश्चात् राजस्व रेकार्ड में किस्म नदी–नाला दर्ज थी, परन्तु जमाबन्दी संवत् 2018–2021 तक में यह भूमि विपक्षी दल्ला पिता रोडा, मांगु पिता धूला, भेरा पिता दोला, नाथु, कचरू, रूपी, नारायणी, मीरा पिता शंकर, केशी पत्नी शकर, देवीलाल पिता दला, मांगीलाल पिता हीरा, मांगीलाल, धना पिता धूला, जोगी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई।

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.)

माननीय उच्च न्यायालय ने डी०बी० सिविल जनहित याचिका सं० 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दि. 02.08.2004 को निर्णय कर निर्देश दिया है कि दिनांक 15.08.1947 को राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि, जिसकी किस्म नदी, नाला, जलाशय आदि दर्ज हो, ऐसी भूमि की स्थिति में बाद में हुए किसी भी परिवर्तन को अवैध घोषित करते हुए पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी नालों एवं जलाशयों का प्राकृतिक स्वरूप बहाल रखा जावे। प्रार्थी तहसीलदार, सलुम्बर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की पालना में ही यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचनापत्र जारी किया गया। विपक्षी ने उपस्थित न्यायालय हो अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर विपक्षीगण का आधिपत्य अपने बाप दादाओ के समय से यानि की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के आने के पूर्व से ही चला आ रहा है तथा उक्त भूमि से विपक्षीगण बराबर फसले ले रहा है उक्त भूमि को विपक्षीगण के पिता ने कृषि योग्य बनाया उक्त भूमि पर आज दो फसले ली जा रही है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण एवं उसके पिता ने लाखो रूपये लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थी उक्त भूमि को जानबूझकर नाला बताकर परेशान कर रहा है जबकि ऐसा किये जाने का प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार नही है उक्त भूमि विपक्षीगण के पिता की होकर उनके स्वर्गवास के पश्चात् विपक्षीगण के खाते आई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र भी संलग्न नही है जिससे उक्त रेफरेन्स को प्रारम्भिक रूप से ही निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र, विपक्षी के प्रत्युत्तर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया। यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाला, जलाशय आदि किस्म की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्धृत नहीं होते हैं। इस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाला, जलाशय आदि किस्म की भूमि को पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी नालों एवं जलाशयों का प्राकृतिक स्वरूप बहाल रखे जाने के निर्देश दिये है।

इस संवध में पटवारी हल्का गिंगला से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई तो जाहिर हुआ कि आराजी नम्बर 3534 से 3539, 3674, 3675, 3676, 3681 3682, 3688, 3783 रकबा 2.26 हेक्टे० भूमि संवत 1987 कर जमाबन्दी में किस्म नदी–नाला दर्ज थी संवत 2018–21 की जमाबन्दी में इसे विपक्षीगण दल्ला पिता रोडा, मांगु पिता धुला, भेरा पिता दोला, नाथु, कचरू, रूपी नारायणी, मीरा पिता शंकर, केशी पत्नी शंकर, देवीलाल पिता दला, मांगीलाल पिता हीरा, मांगीलाल ,धना पिता धूला जोगी के नाम पर सेटलमेन्ट द्वारा कर दिया गया था। अतः पूर्व की स्थिति बहाली के लिए जमाबन्दी में अंकित किस्म नदी–नाला की भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है।

**जिला कलक्टर**
**सलूम्बर (राज.)**

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

चूंकि राजस्व अभिलेख में वर्ष 1947 में यह भूमि किस्म नदी–नाला दर्ज थी एवं वर्तमान जमाबन्दी में भी किस्म नदी–नाला दर्ज है, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस भूमि का पुनः प्राकृतिक स्वरूप बहाल किया जाना आवश्यक है। इसलिये तहसीलदार, सलुम्बर का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र इसी स्टेज पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम गींगला की आराजी नं0 3534 से 3539, 3674, 3675, 3676, 3681, 3682, 3688, 3783 रकबा 2:26 हेक्टे० भूमि विपक्षी दल्ला पिता रोडा, गांगु पिता धूला, भेरा पिता दोला, नाथु, कचरू, रूपी, नारायणी, मीरा पिता शंकर, केशी पत्नी शकर, देवीलाल पिता दला, मांगीलाल पिता हीरा, मांगीलाल, धना पिता धूला, जोगी के नाम सेटलमेन्ट द्वारा सीधे ही दर्ज कर दी गई थी। अतः उक्त भूमि को पूर्ववत बिलानाम सरकार किस्म नदी–नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः ऊपरवर्णित अंकन को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्त रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2007 के अनुसरण में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 22.10.2007 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रेफरन्स/एल.आर/5675/2008/उदयपुर सरकार बनाम दल्ला निर्णय दिनांक 09.09.2016 अनुसार जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2007 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 22.10.2007 अपूर्ण होने से जिला कलक्टर उदयपुर को निर्देशित किया गया कि, प्रकरण में पुनः विधिवत परीक्षण करावें और परीक्षण उपरान्त आवश्यक होने की स्थिति में पूर्ण दस्तावेजात के साथ रेफरेन्स अनुशंषित करे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स/एल.आर./5675/2008/उदयपुर सरकार बनाम दल्ला के रेफरेन्स निर्णय दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशों के संदर्भ में रिमांड से पुनः रेफरेन्स दर्ज कर कमी पूर्ति के लिए जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट सम्वत 1997 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा का सम्पूर्ण विवरण के लिए तहसीलदार सलूम्बर को पत्र लिखा गया तहसीलदार सलूम्बर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर निम्नानुसार हैः–

| क्रम संख्या | साबिक आराजी व रकबा | हाल आराजी नम्बर | रकबा हेक्टेयर में | वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति बिलानाम/खातेदारी | नाम खातेदार | वि.वि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा | 3480 | 0.38 | खातेदारी | कचरू पिता शंकर 2/35 जाति जोगी वगैरह (जमाबन्दी नकल संलग्न) | |
| | | 3534 | 0.2 | | | |
| | | 3535 | 0.2 | | | |
| | | 3536 | 0.18 | | | |
| | | 3537 | 0.15 | | | |
| | | 3538 | 0.2 | | | |
| | | 3539 | 0.25 | | | |
| | | 3674 | 0.11 | | | |
| | | 3675 | 0.11 | | | |
| | | 3676 | 0.13 | | | |
| | | 3681 | 0.25 | | | |
| | | 3682 | 0.18 | | | |
| | | 3688 | 0.18 | | | |
| | | 3783 | 0.12 | | | |

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल किता 14 रकबा 2.64 हेक्टेयर | | | | | |
| 02 | | 3541 | 0.10 | बिलानाम | | |
| | | 3546 | 0.13 | | | |
| | | 3787 | 0.18 | | | |
| | | 3788 | 0.17 | | | |
| | | 3789 | 0.18 | | | |
| | कुल किता 05 रकबा 0.76 हेक्टेयर | | | | | |
| 3 | | 3794 | 0.05 | खातेदारी | खेमा पिता मोड़ा1/4 जाति डांगी वगैरह जमाबन्दी नकल संलग्न | |
| | | 3795 | 0.08 | | | |
| | | 3798 | 0.09 | | | |
| | | 3799 | 0.08 | | | |
| | | 3804 | 0.08 | | | |
| | | 3808 | 0.06 | | | |
| | | 3920 | 0.21 | | | |
| | | 3921 | 0.29 | | | |
| | | 3922 | 0.11 | | | |
| | कुल किता 09 रकबा 1.05 हेक्टेयर | | | | | |
| 4 | | 3784 रकबा 0.54 में सें 0. 05 हेक्टेयर व 3785 रकबा 0.21 में से 0.03 हेक्टेयर | | खातेदारी | कन्हैयालाल पिता गोकुल 1/8 सेवक वगैरह जमाबन्दी नकल संलग्न | इस खाते में आंशिक आराजी पुर्व के 1508 का हिस्सा है। |

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया। यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाव, नदी, नाला, जलाशय आदि किस्म की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदधृत नहीं होते हैं। इस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02.08.2004 निर्णय कर निर्देश दिया है कि दिनांक 15.08.1947 को राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाला, जलाशय आदि किस्म की भूमि को पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी नालों एवं जलाशयों का प्राकृतिक स्वरूप बहाल रखे जाने है।

इस संबध में तहसीलदार सलूम्बर व पटवारी हल्का गिंगला की रिपोर्ट से जाहीर है कि राजस्व अभिलेख में व दिनांक 15.08.1947 से पूर्व में यह भूमि किस्म नाला दर्ज थी, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस भूमि का पुनः प्राकृतिक स्वरुप बहाल किया जाना आवश्यक है।

चूंकि ग्राम गींगला की साबिक आराजी नम्बर 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में हाल खातेदार – खातेदारी दर्ज आराजी नम्बर 3480 रकबा 0.38 हेक्टेयर 3534 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 3535 रकबा 0.20, 3536 रकबा 0.18, 3537 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 3538 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 3539 रकवा 0.25 हेक्टेयर, 3674 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 3675 रकबा 0.11, 3676 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3681 रकबा 0.25, 3682 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 3688 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 3783 रकबा 0.12 हेक्टेयर कुल किता 14 रकबा 2.64 हेक्टेयर होकर खातेदार कचरू पिता शंकर जोगी वगैरह, आराजी नम्बर 3794 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 3795 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3798 रकबा 0.09, 3799 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3804 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3808 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 3920 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 3921 रकबा 0.29 हेक्टेयर, 3922 रकबा 0.11 हेक्टेयर

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

कुल किता 09 रकबा 1.05 हेक्टेयर होकर खातेदार खेमा पिता मोडा जाति डांगी वगैरह एवं आराजी नम्बर 3784 रकबा 0.54 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, 3785 रकबा 0.21 हेक्टेयर में सें 0.03 हेक्टेयर होकर खातेदार कन्हैयालाल पिता गोकुल सेवक वगैरह के नाम दर्ज है जो कुल किता 25 रकबा 3.7700 हेक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज है। एवं हाल आराजी 3541 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 3546 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 3787 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 3788 रकबा 0.17 हेक्टेयर, 3789 रकबा 0.18 हेक्टेयर कुल किता 05 रकबा 0.76 हेक्टेयर राजस्थान सरकार बिलानाम दर्ज है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि साबिक आरजी नम्बर 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में सें हाल खातेदारो की खातेदारी भूमि दर्ज आराजी नम्बर 3480 रकबा 0.38 हेक्टेयर 3534 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 3535 रकबा 0.20, 3536 रकबा 0.18, 3537 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 3538 रकबा 0. 20 हेक्टेयर, 3539 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 3674 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 3675 रकबा 0.11, 3676 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 3681 रकबा 0.25, 3682 रकबा 0. 18 हेक्टेयर, 3688 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 3783 रकबा 0.12 हेक्टेयर कुल किता 14 रकबा 2.64 हेक्टेयर होकर खातेदार कचरू पिता शंकर जोगी वगैरह, आराजी नम्बर 3794 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 3795 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3798 रकबा 0.09, 3799 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3804 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 3808 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 3920 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 3921 रकबा 0.29 हेक्टेयर, 3922 रकबा 0.11 हेक्टेयर कुल किता 09 रकबा 1.05 हेक्टेयर होकर खातेदार खेमा पिता मोडा जाति डांगी वगैरह एवं आराजी नम्बर 3784 रकबा 0.54 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, 3785 रकबा 0.21 हेक्टेयर में सें 0. 03 हेक्टेयर होकर खातेदार कन्हैयालाल पिता गोकुल सेवक वगैरह के नाम दर्ज जो कुल किता 25 रकबा 3.7700 हेक्टेयर भूमि के खातेदारो की खातेदारी भूमि खारीज की जाकर पूर्ववत मेवाड सेटलमेंट जमाबंदी संवत 1997 की खाता संख्या 199 अनुसार राजस्थान सरकार (बिलानाम गैर काबिल काश्त) के नाम दर्ज कर साबिक आरजी नम्बर 1508 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा की किस्म नाला दर्ज किये जाने हेतु अनुशंषा की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पुनः रेफरेन्स दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार सलूम्बर उक्त रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करे। मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार सलूम्बर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.) *

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलेक्टर
सलूम्बर